

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

निविदा- सूचना

क्रमांक / 518 / स्वा.वि. / / 2016-17

राजनांदगाँव, दिनांक 27 / 09 / 2016

शहर के 51 वार्डों में आचारा कुत्तों को पकड़ कर टीकाकरण, 1000 कुत्तों का बध्याकरण कर जिस स्थान से पकड़ा गया है उसी स्थान पर छोड़े जाने का कार्य कराया जाना है इस हेतु कुत्ता पकड़ने वाले संबंधित फर्म/एजेंसी/संस्था अपना दर 02 बंद लिफाफे में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित की जाती है ।

क्र.	अनुमानित कार्य लागत	अमानती राशि	निविदा प्रपत्र
1	775000.00 (सात लाख पचात्तर हजार रूपये मात्र)	10000.00	750.00

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि :- दिनांक 17 / 10 / 2015 तक समय सांय 5.00 बजे
 निविदा जमा करने की अंतिम तिथि :- दिनांक 18 / 10 / 2015 तक समय सांय 5.00 बजे
 निविदा खोलने की तिथि :- दिनांक 19 / 10 / 2015 तक समय सांय 5.00 बजे
 स्थान :- स्वास्थ्य विभाग, इंदिरा नगर पानी टंकी के नीचे, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

नोट :- निविदा से संबंधित जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय में स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिक निगम के वेब साईट में देखे जा सकते है ।


आयुक्त,


नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

पृ. क्रमांक / 519 / स्वा.वि. / / 2016-17

राजनांदगाँव, दिनांक 27 / 09 / 2016

प्रतिलिपि :-

1. मान. महापौर, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव को सादर सूचनार्थ ।
2. मान. अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव को सादर सूचनार्थ ।
3. प्रभारी सदस्य, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव को सूचनार्थ ।
4. संपादक/संवाददाता..... राजनांदगाँव उक्त विज्ञापन दिनांक / 2016 को या इसके पूर्व न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर समाचार पत्र की चार प्रतियाँ के साथ देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें ।
5. सूचना फलक में चरपा हेतु ।



आयुक्त,

नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

।।नियम एवं शर्तें।।

1. आगमन सीमा मार्ग के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा ।
2. आगमनी यात्रा के बगैर रु. 10000.00 का एफ.डी.आर आयुक्त नगर पालिक निगम राजनांदगाँव के नाम से जमा करना होगा ।
3. कुत्ता पकड़ने हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार की स्वयं की होगी ।
4. निविदाकार को प्रति कुत्ते के हिसाब से दर प्रस्तुत करना होगा ।
5. कुत्ता पकड़ने हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री ठेकेदार की स्वयं की होगी ।
6. ठेकेदार द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ कर टीकाकरण एवं बंधियाकरण करना होगा ।
7. हर कुत्तों को एण्टी बायोटिक, पेनकिलर, एण्टी पैरासायटिक एवं अन्य आवश्यकतानुसार इंजेक्शन दिया जाना होगा ।
8. जिस वार्ड क्षेत्र में यह अभियान चलाया जायेगा उसके कार्य का सत्यापन संबंधित क्षेत्र के सफाई दरोगा एवं वार्ड पार्षद से कराया जाना आवश्यक होगा ।
9. कुत्ता पकड़ने के दौरान किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना होने पर संपूर्ण जवाबदारी निविदाकार की होगी ।
10. बंध्यकरण, टीकाकरण के पश्चात् 3 दिवस तक देखरेख एवं दोनो पहर भोजन की व्यवस्था निविदाकार को करना होगा ।
11. आपरेशन पश्चात् कुत्तो को चिन्हांकित किये जाने हेतु उनके कान पर V आकार का चिन्ह बनाना होगा ।
12. ठेकेदार को श्रम नियमों का पालन करना होगा ।
13. कुत्तो जिस वार्ड अथवा स्थान से पकड़ा गया है, टीकाकरण एवं बंधियाकरण के पश्चात् उसी स्थान पर पुनः छोड़ा जायेगा ।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।


आयुक्त,


नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव